

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 2021

विषय-जनपद सोनभद्र के रेणुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1865/11-सी, दिनांक 01.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.09.2020 में उठाये गये बिन्दुओं/आपत्तियों के क्रम में शासन के पत्र संख्या-860/81-2-2021-79/1991, दिनांक 26.07.2021 के अनुसार समेकित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में आख्या भारत सरकार को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित की जा सके।

प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैन।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-328 /11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 29, 2021

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा की गयी आपत्तियों के क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.07.2021 के अनुसार समेकित वांछित बिन्दुवार सूचना/आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा की गयी आपत्तियों के क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.07.2021 के अनुसार समेकित वांछित बिन्दुवार सूचना/आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषय:- जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल्ड्स फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तांतरित आरक्षित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 3050/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एम०आई०एन०/29061/2017, दिनांक 24.06.2021 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र दिनांक 10.06.2013 में यह अवगत कराया गया है कि एन०सी०एल०, ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन०सी०एल० ककरी द्वारा धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे० हिण्डालको इण्ड० लि०, रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 का उल्लंघन है :-

क्र०स०	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वनभूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे० हिण्डालको इण्ड० लि०, रेनुसागर पावर डिवीजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाइन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यों के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	---	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे० लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010	गार्ड वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
	योग			47.09 एकड़	18.2608 एकड़

2- नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना द्वारा मे० हिण्डालको इण्ड० लि०, रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा-4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन बावत नोटिस दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जायें, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र दिनांक 02.03.2013 के

माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु एन0सी0एल0 द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। बेयरमन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में प्रश्नगत उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम/सर्वश्री	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	अनिते राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मै0 अनपरा पावर लि0 अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड दिनांक 03-11-2010 में एन0सी0एल0 की आर से हस्ताक्षर किये गये।
2	सजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मै0 हिण्डालको इण्डो लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 10-6-2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
3	जी0पी0पुर्व	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मै0 हिण्डालको इण्डो लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 21-02-2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
4	एस0के0झी	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अंतर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टाडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित प्रभाग से संबंधित समस्त बैठकों में भाग लिया गया।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/सुरक्षा इंचार्ज, ककरी, परियोजना।	प्राथमिक	महाप्रबन्धक ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र दिनांक 27-2-2012 द्वारा सूचित होने के कारण।

उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि0, ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 182608 हे० वनभूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनोत्तर प्रयोग हेतु निजी कंपनियों को लीज पर दिये जाने संबंधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 का उल्लंघन किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.06.2021 के संदर्भ में।

2- महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र।

2- गार्ड फाइल।

आज्ञा सं/

(आर०पी०सिंह)

अनु. सचिव।